जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा

जिला - महासमुंद (छ.ग.)

(पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाजू, जिला पंचायत रोड, फो.नं. 07723-222291, ई-मेल mis.mahasamund@gmail.com)

जी.क्र./584 /समग्र शिक्षा/ स्थापना/समावेशी शिक्षा/2023 महासमुंद दिनांक 12/09/2023

-: स्पेशल एजुकेटर (समावेशी शिक्षा)का विज्ञापन :-

राज्य राज्य परियोजना कार्यालय, समग्र शिक्षा, छ.ग. रायपुर का पत्र कमांक/1087/SS/24/14/सेकेण्डरी/2021-22 रायपुर दिनांक 04/07/2022 के अनुसार समग्र शिक्षा के अंतर्गत भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना समावेशी शिक्षा संचालित है, जिसके बेहतर क्रियान्वयन हेतु समावेशी शिक्षा (कक्षा 9वीं से 12वीं) अंतर्गत विकासखण्ड स्तर पर स्पेशल एजुकेटर के पदों की निर्धारित मानदेय 20,000/- प्रतिमाह की दर से 06 माह हेतु कार्य पर रखे जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। जिला महासमुन्द हेतु स्वीकृत पद अनुसार रिक्त पद की जानकारी निम्नानुसार है :-

क्र.	जिला	स्पेशल एजुकेटर के स्वीकृत पदों की संख्या
1	महासमुन्द	03

रिक्त पद का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदनाम	प्रति माह मान देय	स्वीकृत पद	अनुसूचित जनजाति			अनुसूचित जाति			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनारक्षित			योग		
				मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग	मुक्त	महिला	योग
1	स्पेशल एजुकेटर	20,000	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3
	योग		3	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	3

शैक्षणिक/अन्य अर्हताएं:-

- स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (विशेष शिक्षा) में अथवा स्नातकोत्तर के साथ बी.एड. (सामान्य) के साथ 02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में।
- बी.एड. (विशेष शिक्षा)/02 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में विशेष शिक्षा से आशय है कि - दृष्टिबाधिता, श्रवणबाधिता, बौध्दिक अक्षमता, अधिगम अक्षमता, सेरेब्रल पाल्सी, बधिरान्धता में से कम से कम किसी एक विषय में भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) पंजीकृत विश्वविद्यालय अथवा महाविद्यालय से बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) होना चाहिए।
- आवेदक का जीवित पंजीयन भारतीय पुनर्वास परिषद् RCI (Rehabilitation Council of India) में पंजीयन अनिवार्य है।
- छत्तीसगढ़ के निवासियों को ही आरक्षण का लाभ दिया जायेगा।
- आवेदक की आयु 21 से 30 वर्ष निर्धारित है, छ.ग. के स्थाई निवासियों के लिये अधिकतम् आयु सीमा 35 वर्ष होगी। इसके अतिरिक्त शासन के प्रचलित नियमानुसार वर्गवार आयु सीमा में छूट दी जायेगी।

नियम एवं शर्तें :–

- उम्मीदवारों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अवधि 06 माह के लिए ही अस्थायी रूप से रखा जायेगा एवं इस अवधि के पश्चात् भारत सरकार द्वारा आगामी माह के लिए स्वीकृति व मानदेय की राशि प्राप्त होने पर अवधि बढ़ायी जा सकेगी। अतः आवेदक कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को नियमित नियुक्ति हेतु कोई दावा नहीं कर सकेगा।
- अनुबंध के आधार पर अस्थाई रूप से कार्य कर रहा उम्मीदवार मानदेय वृद्धि और नियमितीकरण हेतु न्यायालय में याचिका दायर करने हेतु पात्र नहीं होगा।
- चयनित उम्मीदवार को एक अनुबंध करार पर हस्ताक्षर करना होगा और करार अनुबंध के उल्लंघन के मामले में अनुबंध रद्द माना जायेगा। जिसकी सूचना नहीं दी जावेगी। और सेवा बगैर पूर्व सूचना के स्वमेव समाप्त मानी जावेगी।
- आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट प्रचलित शासकीय नियमों के अनुसार लागू होगा।
- चयनित उम्मीदवार को अस्थाई रूप से कार्य पर रखने संबंधी पत्र प्राप्त होने के पश्चात् नियत तिथि तक कर्तव्य में उपस्थित होना पड़ेगा अन्यथा मेरिट सूची में अगले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जावेगी, और अलग से आवेदक को औपचारिक सूचना नहीं दी जावेगी।
- समग्र शिक्षा जिला कार्यालय डाक में विलंब के लिए जिम्मेदार नहीं रहेगा , जिले द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
- कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक को विज्ञापन वापस लेने/चयन प्रक्रिया को रद्द करने के साथ ही उपरोक्त कार्य अवधि में कार्य से संतुष्ट नहीं पाये जाने की स्थिति में एवं किसी भी अन्य विवाद की स्थिति में स्पेशल एजुकेटर को कार्य से पृथक करने का संपूर्ण अधिकार होगा । इस स्थिति में किसी भी प्रकार का आवेदन/अपील विचारणीय व मान्य नहीं होगा। विवाद होने पर निर्णय का संपूर्ण अधिकार कलेक्टर एवं पदेन जिला मिशन संचालक के पास सुरक्षित होगा।
- इस पद हेतु निश्चित एवं एकमुश्त मानेदय रू. 20,000/ -- (अक्षरी बीस हजार रु. मात्र) प्रति माह दिया जायेगा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के अन्य भत्ते की पात्रता नहीं होगी।

आवेदन की प्रक्रिया –

- रिक्त पदों पर भर्ती हेतु योग्यताधारी आवेदकों से ऑनलाईन गूगल–लिंक के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांक 12 सितंबर 2023 से 21 सितंबर 2023 को शाम 05:00 बजे तक आवेदन आमंत्रित किये जाते है। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।
- विज्ञापन का अवलोकन एवं ऑनलाईन आवेदन हेतु लिंक जिले के वेबसाइट www.mahasamund.gov.in पर उपलब्ध है।
- स्पेशल एजुकेटर ऑनलाइन आवेदन हेतु गूगल–फॉर्म लिंक :– https://forms.gle/HQpxJ5j4XyWK5AQTA
- आवेदन के सभी कॉलम को दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर भरें।
- आवेदन पत्र ऑनलाइन भरा जावें। कार्यालय में स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक से आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.09.2023 समय अपरान्ह 05 बजे निर्धारित है।

चयन प्रक्रिया :–

1. निर्धारित योग्यता स्नातकोत्तर का 50 प्रतिशत एवं बी.एड. (विशेष शिक्षा) 50 प्रतिशत ।
2. स्नातकोत्तर का 50 प्रतिशत, बी.एड. (सामान्य) 25 प्रतिशत के साथ 2 साल का डिप्लोमा (विशेष शिक्षा) में 25 प्रतिशत।
3. निर्धारित तिथि 21.09.2023 को शाम 05:00 बजे तक प्राप्त आवेदन की स्क्रूटनी की जायेगी। स्क्रूटनी के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मेरिट सूची बिन्दु 1 व 2 के आधार पर तैयार की जायेगी।
4. मेरिट के आधार पर 03 विज्ञापित पद के विरूध्द 30 अभ्यर्थियों को अधिकतम (1:10) दस्तावेज सत्यापन के लिये आमंत्रित किया जायेगा।
5. दस्तावेजी सत्यापन में सही पाये जाने पर मेरिट के आधार पर, आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुये 03 अभ्यर्थियों का चयन किया जायेगा।
6. जिले के 03 विकासखण्ड महासमुन्द / पिथौरा / सरायपाली में एक–एक स्पेशल एजुकेटर के रूप में निर्धारित अवधि 06 माह के लिये नियुक्त किया जायेगा।

स्पेशल एजुकेटर का कार्य दायित्व :–

1. विकासखण्ड एवं संकुलवार विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का दिव्यांगतावार डाटा रखना ।
2. चिन्हांकित विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना ।
3. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को स्कूल जाने के लिये तैयार करना तथा उनका संपूर्ण रिकार्ड एकत्र कर रखना ।
4. इन बच्चों के पालकों को समय – समय पर बैठक लेकर उन्मुखीकृत करना तथा बच्चों को सामाजिक गतिविधियों से जोडना ।
5. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शासन की योजनाओं का लाभ दिलाना जैसे– छात्रवृत्ति , सामाजिक सुरक्षा पेंशन , दिव्यांगता भत्ता , दिव्यांगता प्रमाण पत्र , एस्कार्ट – ट्रांसपोर्ट , रीडर एलाउन्स , बालिका शिष्यावृत्ति आदि ।
6. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के शिक्षण प्रशिक्षण में सहयोग हेतु सामान्य शिक्षकों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित करना ।
7. विभिन्न विभागों व एनजीओ से संपर्क कर विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को आवश्यकतानुसार सहायक उपकरण व अन्य लाभ की व्यवस्था कराना ।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की व्यक्तिगत शैक्षणिक योजना (IEP) तैयार करने में शिक्षक का सहयोग करना , जिससे बच्चें में कितना परिवर्तन हो रहा है , उसका मूल्यांकन कर सके ।
9. शालाओं में पियर्स ग्रुप (सहपाठी समूह) तैयार करना जिससे वे बच्चे विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की मदद कर सके ।
10. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु शालाओं में बाधा रहित वातावरण निर्मित करने में शिक्षकों को प्रोत्साहित करना एवं उनकी संकल्पनाओं का निर्णय करना ।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए पाठ्यक्रम अनुसार वास्तविक TLM का ही ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना तथा नियमित कक्षा के अतिरिक्त बच्चों के समझ हेतु पृथक प्रयास करना ।
12. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना व योजना बनाकर उपाय बनाना एव बच्चों के पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान कर उनके पालकों से सतत् संपर्क में रहना।
13. शिक्षक को विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समस्या एवं समाधान के बारे में आवश्यक परामर्श देना तथा उनकी आवश्यकता के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम में उचित सुधार व सुझाव देना ।
14. विकासखण्ड में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों आधारित चलने वाले कार्यक्रम से फीडबेक लेकर सुधारात्मक उपाय बनाना ।

15. जनभागीदारी समिति (SMC/SMDC) में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की जानकारी देना व उनके लिये निदानात्मक उपाय बनाकर लागू करना।
16. रिसोर्स सेंटर में CWSN बच्चे जिन्हें थैरेपी की आवश्यकता हो उन्हें विशेष प्रशिक्षण एवं आवश्यक थेरेपी प्रदान करने में सहयोग करना तथा इस हेतु पालकों को प्रशिक्षित करना/जागरूक करना/सहयोग देना।
17. भ्रमण के दौरान प्राप्त विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की सूची तैयार कर उसकी आवश्यकता को पूरा कराने के लिये प्रयास करना एवं किये गये प्रयास की जानकारी संबंधित शाला/जनभागीदारी समिति/पालक को देना।
18. सामान्य शिक्षकों को ब्रेल–लिपि, सांकेतिक भाषा, 21 प्रकार की दिव्यागता, चेक लिस्ट, शालाओं में बाधारहित वातावरण, पाठ्यक्रम अनुकूलन आदि का प्रशिक्षण देना।
19. समाज कल्याण एवं स्वास्थ्य विभाग से सतत संपर्क स्थापित करना व इन विभागों के द्वारा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं से लाभान्वित करना।
20. प्रत्येक संकुल को कव्हर करना एवं इसकी सूचना पूर्व में संकुल समन्वयक को प्रदान करना जिससे उपस्थिति की सूचना शाला स्तर एवं पालकों तक पहुंचाया जा सके।
21. इसके अतिरिक्त समय – समय पर राज्य एवं जिला स्तर पर दिये गये आदेश/निर्देशों के अनुसार कार्य करना।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
जिला पंचायत पदेन
जिला परियोजना संचालक
समग्र शिक्षा, जिला–महासमुन्द (छ.ग.)